भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1413

उत्तर देने की तारीख: 11.02.2026

वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित योजनाएं एवं उनके लाभार्थी

1413. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीओपी) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अन्तर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की क्रमशः 60-79 वर्ष आयु वर्ग और 80+ वर्ष आयुवर्ग में आयु-वार राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के अंतर्गत समर्थित जीवनयापन उपकरण और पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है तथा बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई) के अंतर्गत स्थापित स्वास्थ्य देखरेख अवसंरचना का गत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान आईपीओपी, आरवीवाई, आईजीएनओएपीएस तथा एनपीएचसीई के अन्तर्गत आवंटित, संस्वीकृत, जारी तथा उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत पेंशन राशि में वृद्धि करने अथवा समर्थित जीवनयापन सहायता का विस्तार करने की क्या योजना है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के घटक एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) (पूर्ववर्ती वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीओपी) के अंतर्गत निर्धन वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक के आयु) के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह के संचालन और रख-रखाव के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/स्वैच्छिक संगठनों (वीओओ) को सहायता अनुदान दिया जाता है। इस घटक के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयु-वार श्रेणीकरण (60-79 वर्ष और 80+ वर्ष) का प्रावधान नहीं किया गया है। विगत पांच वर्षों के दौरान

आईपीएसआरसी के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या **संलग्नक-I** में दी गई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि वह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) नामक एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) एनएसएपी के अंतर्गत एक विशिष्ट उप-योजना है, जो विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के वृद्धजनों के लिए है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के तहत, 60-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को प्रति माह 200 रुपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में, 221 लाख से अधिक लाभार्थी इस योजना के तहत कवर किए गए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की संख्या की सीमा **संलग्नक-II** में दी गई है।

(ख): विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार, वर्ष-वार संख्या **संलग्नक-III** में दी गई है। इस योजना के तहत पेंशन नहीं दी जाती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई) के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के माध्यम से वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान एनपीसीएचई के अंतर्गत कार्यरत जिलों की वर्ष-वार स्थिति **संलग्नक-IV** में दी गई है।

तृतीयक देखभाल सेवा प्रदायगी के लिए 17 क्षेत्रीय वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र (आरजीसी) स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें विशेष ओपीडी, आरजीसी में 30 इन-पेशेंट वार्ड, यूरोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, नेत्र विज्ञान आदि जैसी विभिन्न विशिष्टताओं में निर्धारित बिस्तर, जनशक्ति निर्माण और अनुसंधान गतिविधियां शामिल हैं। इसके अलावा, एम्स, नई दिल्ली और मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई में दो राष्ट्रीय वृद्धावस्था केन्द्र (एनसीए) स्थापित किए गए हैं और वृद्धावस्था देखभाल सेवाओं के लिए उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(ग): आईपीएसआरसी (पूर्ववर्ती आईपीओपी) अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) का एक घटक है। एवीवाईएवाई के अंतर्गत घटक-वार और राज्य-वार बजट आबंटन नहीं किए जाते हैं। आईपीएसआरसी के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिक गृहों के संचालन और रख-रखाव के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की सिफारिश के अनुसार वर्ष-वार आबंटन,

आईपीएसआरसी के अंतर्गत किए गए व्यय और विगत पांच वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को जारी की गई राज्य-वार राशि का ब्यौरा **संलग्नक-V** में दिया गया है।

आरवीवाई अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के तहत एक घटक है। एवीवाईएवाई के अंतर्गत घटक-वार बजट आबंटन नहीं किए जाते हैं। ईएफसी की अनुशंसा के अनुसार वर्ष-वार आबंटन और विगत पांच वर्षों के दौरान आरवीवाई घटक के तहत किए गए व्यय का ब्यौरा **संलग्नक-V** में दिया गया है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएएनओएपीएस) के अंतर्गत राज्य-वार बजट आबंटन नहीं किया जाता है। पिछले पांच वर्षों के लिए आईजीएएनओएपीएस के अंतर्गत वर्ष-वार बजट आबंटन, किए गए व्यय और किए गए राज्य-वार व्यय **संलग्नक-VI** में दिए गए हैं।

विगत पांच वर्षों के दौरान एनपीएचसीई के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार बजट आबंटन और किए गए व्यय का ब्यौरा भी **संलग्नक-VII** में दिया गया है।

(घ): आरवीवाई योजना के अंतर्गत सहायक उपकरणों के वितरण का विस्तार आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएएनओएपीएस) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कम से कम केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता के समतुल्य टॉप-अप राशि प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि लाभार्थियों को एक समुचित स्तर की सहायता मिल सके। वर्तमान में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रति लाभार्थी प्रति माह 50 रुपये से 3800 रुपये तक की टॉप-अप राशि प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, विभिन्न समितियों और मूल्यांकन अध्ययनों की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के पुनरुद्धार का प्रस्ताव, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पात्रता मानदंड, सहायता की दर और राज्यों के साथ साझी व्यवस्था में संशोधन शामिल था, 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-26) के लिए एनएसएपी के जारी रहने के दौरान प्रस्तावित किया गया था। तथापि, सरकार ने एनएसएपी योजनाओं को उनके वर्तमान स्वरूप में जारी रखने का अनुमोदन कर दिया है।

संलग्नक-I

श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1413 जिसका उत्तर दिनांक 11.02.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

विगत पांच वित्त वर्षों में आईपीएसआरसी के तहत लाभार्थियों की संख्या						
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	16275	21050	25850	22900	23200
2	बिहार	50	0	0	400	350
3	छत्तीसगढ़	150	225	50	225	325
4	गोवा	50	0	0	0	0
5	गुजरात	1500	250	175	425	275
6	हरियाणा	1175	1050	925	1700	1625
7	हिमाचल प्रदेश	4850	25	25	75	100
8	झारखंड	75	100	150	250	300
9	कर्नाटक	6370	1420	920	2340	2415
10	केरल	100	100	50	200	75
11	मध्य प्रदेश	475	450	375	750	675
12	महाराष्ट्र	6895	5915	5835	12160	11670
13	ओडिशा	12895	12470	7350	14550	19850
14	पंजाब	675	600	600	0	0
15	राजस्थान	550	750	375	975	600
16	तमिलनाडु	21320	31895	16795	32940	33715
17	तेलंगाना	5450	10050	350	15550	10875
18	उत्तर प्रदेश	965	1595	1295	2290	2215
19	उत्तराखंड	75	25	50	100	75
20	पश्चिम बंगाल	15300	15150	10100	20900	5875
21	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
22	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
23	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	0
24	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
25	दिल्ली	125	25	125	200	200

26	पांडिचेरी	25	125	100	200	100
27	अरुणाचल प्रदेश	125	50	0	50	0
28	असम	29995	25365	15475	25690	20865
29	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	650	200
30	लद्दाख	0	0	0	0	0
31	मणिपुर	10750	10450	700	1975	16425
32	मेघालय	100	200	0	0	0
33	मिजोरम	25	0	0	0	0
34	नागालैंड	50	50	50	275	325
35	सिक्किम	0	0	0	0	0
36	त्रिपुरा	50	0	25	50	100
	कुल योग	**136440**	**139385**	**87745**	**157820**	**152430**

श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1413 जिसका उत्तर दिनांक 11.02.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सीमा		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**सीमा**
1	आंध्र प्रदेश	663736
2	बिहार	3157256
3	छत्तीसगढ़	644429
4	गोवा	7308
5	गुजरात	620548
6	हरियाणा	259865
7	हिमाचल प्रदेश	93178
8	झारखंड	985094
9	कर्नाटक	899422
10	केरल	458813
11	मध्य प्रदेश	1575079
12	महाराष्ट्र	1122920
13	ओडिशा	1418631
14	पंजाब	112955
15	राजस्थान	823972
16	तमिलनाडु	1282504
17	तेलंगाना	480315
18	उत्तर प्रदेश	4722613
19	उत्तराखंड	204557
20	पश्चिम बंगाल	1281159
पूर्वोत्तर राज्य		
21	अरुणाचल प्रदेश	5893
22	असम	695997
23	मणिपुर	55891
24	मेघालय	55734
25	मिजोरम	24524
26	नागालैंड	45941
27	सिक्किम	16928
28	त्रिपुरा	135232

संघ राज्य क्षेत्र		
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	585
30	चंडीगढ़	2378
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	8754
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	113824
33	जम्मू-कश्मीर	130298
34	लद्दाख	6486
35	लक्षद्वीप	155
36	पुदुच्चेरी	17713
	कुल	**22130687**

संलग्नक-III

श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1413 जिसका उत्तर दिनांक 11.02.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

विगत पांच वित्त वर्षों में आरवीवाई के तहत लाभार्थियों की संख्या						
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	0	431	667	243	1437
2	बिहार	0	1305	2634	6290	18406
3	छत्तीसगढ़	265	2329	163	382	1452
4	गोवा	1679	0	0	86	2069
5	गुजरात	836	0	0	1702	2841
6	हरियाणा	0	1136	944	1010	18592
7	हिमाचल प्रदेश	863	0	12	229	1414
8	झारखंड	0	0	990	240	3532
9	कर्नाटक	0	123	2090	2439	7468
10	केरल	1	911	0	10	1571
11	मध्य प्रदेश	158	2426	430	3480	4971
12	महाराष्ट्र	236	6298	63007	5145	13510
13	ओडिशा	114	426	671	2630	4227
14	पंजाब	346	752	257	707	4547
15	राजस्थान	467	475	883	4479	6543
16	तमिलनाडु	669	0	0	5	596
17	तेलंगाना	0	1126	2757	753	663
18	उत्तर प्रदेश	0	17339	2356	21901	44710
19	उत्तराखंड	1686	0	331	1583	605
20	पश्चिम बंगाल	0	19	103	2099	1161
21	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4169	0	0	0	0
22	चंडीगढ़	0	0	0	0	128
23	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	161	0	68	1114
24	लक्षद्वीप	0	0	0	0	334
25	दिल्ली	288	29	188	862	2153
26	पुडुचेरी	0	0	0	34	490

27	अरुणाचल प्रदेश	1076	568	0	49	389
28	असम	186	2318	14610	2626	583
29	जम्मू-कश्मीर	0	8	1141	583	3364
30	लद्दाख	0	0	0	0	323
31	मणिपुर	0	0	1421	756	1377
32	मेघालय	76	0	0	34	303
33	मिजोरम	2410	364	0	0	1008
34	नागालैंड	1519	316	680	1784	843
35	सिक्किम	1032	0	0	0	289
36	त्रिपुरा	101	2046	939	1122	1161
कुल योग		**18177**	**40906**	**97274**	**63331**	**154174**

संलग्नक-IV

श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1413 जिसका उत्तर दिनांक 11.02.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

विगत पांच वर्षों के दौरान एनपीएचसीई के तहत कार्यरत जिलों की वर्षवार स्थिति इस प्रकार है:

संकेतक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024- 25
एनपीएचसीई के तहत कार्यरत जिलों की संख्या	595	595	640	683	722

संलग्नक-V

श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1413 जिसका उत्तर दिनांक 11.02.2026 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

ईएफसी की सिफारिशों के अनुसार वर्ष-वार आबंटन और आईपीएसआरसी के तहत व्यय (रुपये करोड़ में)			
क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**ईएफसी की सिफारिश**	**व्यय**
1	2020-2021	122.75	122.58
2	2021-2022	216.32	93.19
3	2022-2023	241.76	72.31
4	2023-2024	275.05	118.95
5	2024-2025	307.93	125.42

आईपीएसआरसी योजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 में जारी अनुदान का राज्यवार विवरण						
						(रुपये लाख में)
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	1548.91	1259.01	1058.69	1663.32	1764.34
2	बिहार	28.35	0	0	36.64	98.21
3	छत्तीसगढ़	72.28	46.37	27.36	118.61	140.85
4	गोवा	18.9	0	0	0	0
5	गुजरात	150.19	86.99	53.57	106.61	123.17
6	हरियाणा	382.77	241.81	169.86	244.1	168.2
7	हिमाचल प्रदेश	27.09	18.07	11.58	26.54	46.5
8	झारखंड	29.06	42.75	48.86	84.89	93.61
9	कर्नाटक	1035.45	790.55	641.99	943.17	1059.21
10	केरल	59.94	33.78	8.75	41.5	21.41
11	मध्य प्रदेश	266.22	175.45	152.62	261.3	292.34
12	महाराष्ट्र	1301.12	585.86	527.39	963.3	991.76
13	ओडिशा	1769.61	1484.26	1090.01	1649.53	2109.16
14	पंजाब	50.81	6.21	4.83	0	0
15	राजस्थान	256.86	296.24	121.95	355.49	194.46
16	तमिलनाडु	1358.98	1428.56	1089.23	1563.32	1636.25
17	तेलंगाना	410.5	302.58	166.71	509.27	527.08
18	उत्तर प्रदेश	549.94	754.51	623.66	797.25	875.96
19	उत्तराखंड	45.92	16.08	23.41	35.7	24.02
20	पश्चिम बंगाल	653.74	338.5	332.8	720.87	395.54
21	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
22	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
23	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0
24	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
25	दिल्ली	86.42	36.15	47.25	74.6	72
26	पांडिचेरी	2.2	41.16	33.96	69.67	36.46
27	अरुणाचल प्रदेश	59.09	15.58	0	8.25	0

28	असम	948.62	696.15	609.32	710.05	769.9
29	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	56.57	25.54
30	लद्दाख	0	0	0	0	0
31	मणिपुर	1052.11	518.6	349.37	772.55	968.94
32	मेघालय	29.05	93.96	0	0	0
33	मिजोरम	19.17	0	0	0	3.35
34	नागालैंड	13.9	10.72	20.77	52.6	61.85
35	सिक्किम	0	0	0	0	0
36	त्रिपुरा	31.07	0	17.44	29.91	42.66
	कुल योग	**12258.3**	**9319.9**	**7231.38**	**11895.61**	**12542.77**

ईएफसी की सिफारिशों के अनुसार वर्ष-वार आबंटन और आरवीवाई के तहत व्यय (करोड़ में)			
क्र.सं.	वित्त वर्ष	ईएफसी की सिफारिश	व्यय
1	2020-2021	73.88	26.50
2	2021-2022	25.00	25
3	2022-2023	88.84	88.84
4	2023-2024	92.15	59.32
5	2024-2025	168.21	208.29

संलग्नक-VI

श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1413 जिसका उत्तर दिनांक 11.02.2026 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

बजट अनुमान के अनुसार वर्षवार आबंटन और आईजीएनओएपीएस के तहत व्यय (करोड़ में)			
क्र.सं.	वित्त वर्ष	बजट अनुमान	व्यय
1	2020-2021	6259.08	6152.61
2	2021-2022	6259.08	5806.39
3	2022-2023	6564.31	6827.55
4	2023-2024	6634.32	6778.50
5	2024-2025	6645.90	6843.95

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत राज्यवार जारी निधि						
						(रुपये करोड़ में)
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	186.77	141.55	194.7500	253.72	229.01
2	बिहार	1000.02	998.05	1059.14	1153.55	1085.59
3	छत्तीसगढ़	98.55	183.58	187.69	190.63	242.21
4	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	गुजरात	173.64	130.23	217.05	183.06	183.49
6	हरियाणा	34.96	0.00	180.39	0.00	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	39.34	9.85	29.56	72.91	0.00
8	झारखंड	206.38	327.09	270.16	196.36	238.39
9	कर्नाटक	300.73	291.52	243.66	303.75	68.31
10	केरल	175.96	0.00	0.00	366.66	78.64
11	मध्य प्रदेश	465.46	392.16	663.28	578.58	622.81
12	महाराष्ट्र	305.48	241.31	135.68	0.00	483.42
13	ओडिशा	351.85	417.15	412.31	406.55	304.20
14	पंजाब	36.03	8.47	0.00	9.35	17.82
15	राजस्थान	251.48	65.86	443.91	211.41	399.86
16	तमिलनाडु	201.26	589.85	305.96	427.97	413.65
17	तेलंगाना	213.17	71.74	144.89	112.23	0.00
18	उत्तर प्रदेश	1247.08	1272.82	1473.63	1257.23	1425.52
19	उत्तराखंड	98.76	48.42	105.98	77.79	97.56
20	पश्चिम बंगाल	367.05	240.96	381.44	567.02	460.52
21	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	8.34	0.00
22	असम	253.80	247.60	254.44	234.92	242.14
23	मणिपुर	25.92	4.29	22.39	13.28	18.82
24	मेघालय	17.19	8.69	17.92	18.23	18.27
25	मिजोरम	9.35	4.72	9.30	9.23	12.00
26	नागालैंड	18.47	14.16	19.38	15.34	26.60
27	सिक्किम	8.17	0.00	7.04	0.00	0.00
28	त्रिपुरा	9.85	22.98	25.31	37.26	45.35
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	23.04	34.10	0.00	0.00	93.55
33	जम्मू-कश्मीर	22.88	35.07	19.26	73.13	31.61
34	लद्दाख	0.95		3.03	0.00	4.61
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	पुदुच्चेरी	8.22	4.18	0.00	0.00	0.00
कुल		**6152.60**	**5806.40**	**6827.55**	**6778.50**	**6843.95**

संलग्नक-VII

श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1413 जिसका उत्तर दिनांक 11.02.2026 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

एनपीएचसीई के तहत राज्यवार बजट आबंटन और उपयोग (रुपये लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	स्वीकृति	व्यय	स्वीकृति	व्यय	स्वीकृति	व्यय	स्वीकृति	व्यय	स्वीकृति	व्यय
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.5	0	30.4	0	17.98	0.02	9	-	7.5	2.35
आंध्र प्रदेश	789.9	789.9	455.06	114.58	316.5	18.57	269	207.65	264.4	107.69
अरुणाचल प्रदेश	165.4	125.27	40	255.44	146.6	97.5	151.6	23.8	143.4	164.64
असम	310.3	169.41	65.46	23.62	490.15	107.14	92.25	221.43	215.97	130.09
बिहार	165.8	40.56	5.67	20.83	74.72	5.59	78.46	6.3	195.12	105.21
चंडीगढ़	0	0	0	0	-	-	-	-	2.43	0.82
छत्तीसगढ़	95.36	63.09	512.11	254.31	387.5	312.22	487.6	268.06	678.76	207.5
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.35	0	0	0	27.87	0.25	2.35	-	7.5	1.74
दिल्ली	9.8	0	24.9	7.42	331	0.05	313	8.12	103.1	28.96
गोवा	13.34	10.79	27.3	22.61	29.3	23.42	29.3	22.38	31.6	18.58
गुजरात	20.2	9.19	78.05	29.84	179.35	57.1	159.35	178.22	282.71	174.68
हरियाणा	70.29	33.02	98.11	72.46	131.62	84.52	101.82	73.04	393.6	193.03
हिमाचल प्रदेश	1.5	24.01	15.94	35.91	83	13.31	78	25.75	19	8.33
जम्मू-कश्मीर	144.5	1	166.5	80.75	136.5	18.74	101.5	8.39	65	12.07
झारखंड	13.23	33.98	268.83	168.14	481.58	180.76	301.98	217.57	885.4	697.26
कर्नाटक	1311	331.73	129.6	79.15	793.72	193.77	159	165.84	22.4	26.42
केरल	128.5	139.19	363.5	188.09	487.8	72.95	343.3	88.01	323.5	33.43
लद्दाख	0	0.4	53.7	74.74	24.9	52.06	17.9	52.73	50.2	42.09
लक्षद्वीप	12.35	2	11.4	0.43	8.8	2.49	8.88	0.4	14.1	3.45
मध्य प्रदेश	139	118.05	1518.63	172.71	210.5	432.75	135.5	399.52	735.5	381.44

महाराष्ट्र	151.6	30.98	131.49	75.29	307.3	71.93	331.3	219.2	325.6	46.81
मणिपुर	114.3	31.43	135.97	0	67.5	47.55	67.5	2.97	112.25	9.26
मेघालय	86.97	79.28	200.98	79.61	198.21	113.48	89.75	28.17	53	78.81
मिजोरम	19.86	14.89	27.24	11.46	28.15	5.65	34.45	14.71	45.55	1.68
नागालैंड	7.99	0.49	20.4	24.25	5.03	0.2	4.13	0.35	42.46	4.09
ओडिशा	173.1	204.31	137.55	224.01	678.3	420.6	169.1	263.35	1,506.62	1,477.47
पुदुच्चेरी	31.3	0.47	32.4	10.35	40.07	30.78	43.89	13.61	48.52	10.4
पंजाब	17.6	24.61	40.4	58.67	199.5	4.85	211.5	211.5	460.1	-
राजस्थान	30	0	310.1	168.23	31.4	16.81	31.4	20.31	3,559.55	62.73
सिक्किम	17.8	0.21	19.15	9.73	13.9	13.83	13.93	12.22	26	21.85
तमिलनाडु	54.25	568.76	212.86	166.55	202.01	122.9	325.5	108.5	44.93	44.93
तेलंगाना	142	0	75	22.4	19.25	-	7	4.95	1.65	-
त्रिपुरा	0	1.97	93.17	6.39	55.55	27.04	65.6	34.97	90.18	17.91
उत्तर प्रदेश	731.3	194.31	1154.73	64.16	1,047.50	117.55	1,977.98	177.84	1,390.11	175.68
उत्तराखंड	44.94	23.54	65.01	50.67	62.43	23.16	52.32	42.91	258.52	188.82
पश्चिम बंगाल	103.4	105.17	60.7	121.13	274.36	147.57	229.05	145.67	118.92	180.41
कुल	**5,118**	**3,172.01**	**6,582.31**	**2,693.93**	**7,589.85**	**2,837.09**	**6,494.19**	**3,268.44**	**12,525.16**	**4,660.64**
